भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु 10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 467346

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

05 - थराली (अ.जाति) निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

मैं राजपाल पुत्र/ पुत्री/ पत्नी स्व. फतेराम आयु 57 वर्ष, जो ग्राम काण्डई जिला चमोली का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं/ शपथ पत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूं/ करती हूं....

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास सं दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हूं/ नहीं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं कोई नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) कोई नहीं जिला(जिले) कोई नहीं राज्य कोई नहीं

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है कोई नहीं

(iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई कोई नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किये गये थे कोई नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं कोई नहीं

Rajendra Lal
Advocate & Notary
P. R. (Chamoli)
No 1 (1) 2004

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ~~ठहराया गया है~~/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट ~~किया गया है~~/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....कोई नहीं.....

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है.....कोई नहीं.....कोई नहीं.....

(iii) पुलिस थाना (थाने).....कोई नहीं..... जिला (जिले).....कोई नहीं..... राज्य.....कोई नहीं.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....कोई नहीं.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे .....कोई नहीं.....

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गए हैं .....कोई नहीं.....

स्थान : गोपेश्वर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

तारीख : 10-01-2012

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/~~करती हूं~~ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

.....गोपेश्वर.....स्थान पर आज तारीख .....10-01-2012..... को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

NOTARY
Rajendra Lal
Advocate & Notary
G. P. R. (Chamoli)
Reg. No 14 (11) 2004
GOVT. OF UTTARAKHAND

Certified that Sri/Smt. Rajpal
The deponent is identified by ...
Who has verified the contents of his affidavit
at Gopeshwar on 10/1/12

Rajendra Lal
Advocate & Notary
Gopeshwar (Chamoli)
Reg. No. 14 (11) 2004

टिप्पणी : इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिया जाए।